

फर्द अहकाम

ममता देवी

बनाम

कजोड वगै०

न्यायालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

स सं०४० / 2025

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.06.2025	<p>अधिवक्ता श्री कैलाश चंद सांसी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के कब्जे काशत में मजाहमत नहीं करने, बेचान नहीं करने तथा मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखने हेतु पाबंद कराने बाबत निवेदन किया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थीया को एकपक्षीय सुना व प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस अधिवक्ता प्रार्थीया, शपथ पत्र एवं दस्तावेज से संतुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादग्रस्त आराजी ख०नं० 139 रकबा 8.4089 हे०, ख०नं० 137 रकबा 0.2655 हे०, ख०नं० 153 रकबा 0.1644 हे०, ख०नं० 56/2 रकबा 2.1497 हे० वाकै ग्राम कुडियो का बास तह० जोबनेर जिला जयपुर राज० में प्रार्थीया के कब्जे काशत एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करे, बिना विधिक विभाजन कराए वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थीगण को इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो असालतन वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि० एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.07.2025 को पेश हो।</p>	
	11.7.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण की वास्तुता में पत्रावली दिनांक 11/8/25 को पेश दी।</p>	

dsc
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जांबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	1.8.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पूर्वोक्त की मायना हेतु शंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 19/9/25 को पेश हो। <i>Neha</i> उपखण्ड अधिकारी जांबनेर जयपुर
	19.9.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 13/10/25 को पेश हो। <i>Neha</i>
	13.10.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अचकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/10/25 को पेश हो।
	17.10.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 29/10/25 को पेश हो।
	29.10.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/11/25 को पेश हो।
	7.11.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/11/25 को पेश हो।
	14.11.25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/11/25 को पेश हो।
	21.11.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप. उपस्थित। के. तामील समेत मध्य Reg. No. 25/25 पेश। अतः म. श. के. भागामी पेशी पर डिलीवरी स्टैटमेंट पेश करे। पत्रावली वास्तविक पेश होने डिलीवरी स्टैटमेंट दिनांक 26/11/25 को पेश हो। <i>Neha</i> उपखण्ड अधिकारी जांबनेर, जयपुर

फर्द अहकाम

बनाम

नय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

3. / 202.....

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26-11-25	<p>पत्रावली भेजा हुई। अधिवक्ता शायीया उपस्थित। पूर्वाह्न की मालना से पत्रावली दिनांक 5/12/25 को भेजा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten Signature</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
5-12-25	<p>पत्रावली भेजा हुई। अधिवक्ता शायीया उपस्थित। अध्यायीगण के तालीम डिप्लोमरी एग्जामेन्ट भेजा। 11-मि. रहे। पत्रावली वार्डर आग्निम कार्यवाही दिनांक 8-12-25 को भेजा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten Signature</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
8-12-25	<p>पत्रावली भेजा हुई। P.O. सा. अन्य साधक में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10-12-25 को भेजा हो।</p>	
10-12-25	<p>पत्रावली भेजा हुई। आज अधिकाधिक संघ ने कार्य स्थागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 15-12-25 को भेजा हो।</p>	
15-12-25	<p>पत्रावली भेजा हुई। अधिवक्ता वारी उपस्थित। अध्यायी सं. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 20 की तस्वीर पर्याप्त। शेष अध्यायीगण की तस्वीर हेतु सम्मन तस्वाना भेजा होने पर जरिए Reg. Ad. पारी हीगर पत्रावली दिनांक 22/12/25 को भेजा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten Signature</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	
22-12-25	<p>पत्रावली भेजा हुई। अधिवक्ता शायीया उपस्थित। अध्यायी सं. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 20 के निरुद्ध कावज़ूर सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही भ्रमल के लगी गयी। अध्यायी</p>	

फर्द अहकाम

बनाम

आलय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

सं. 80/2025

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2-1-26	<p>सं. 4.6 एवं 16 की तलबी हेतु सम्मत तलबाना फ़ैरा करने हेतु अंतिम अवसर दिनांक 02/01/2026 को फ़ैरा की गयी।</p> <p>मरावली मेरा-दुर्ब। प्रार्थना एवं उनके अचिन्ता अनुपादित। प्रार्थना को भाव-भाषालय से प्रथम मूधन समग्र पर तीन-तीन बार आवाज लगाना गयी। आवक्य भावज लगवाने के उपरांत भी प्रार्थना के नभाषालय में धापरि नहीं जाने के कारण मरावली अन्तर्गत आरेख-4 निगम-3 जा-री के तहत अग्रम हाजरी व अग्रम पैरवी से धारिज की गयी। मरावली क्लेसल वुमार शैलर नंबर से काम शैलर शखिल दफ़तर ही।</p>	<p>Neha उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p> <p>Neha उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>

Reader

dsG
16.06.25

=



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जोबनेर जिला जयपुर राज०

प्रार्थना पत्र सं०...४०./25

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अधारा 212 रा०टी०ऐ०

ममता देवी पत्नि बाबूलाल जाति जाट उम्र 36 साल निवासी किशना बाबा की ढाणी, कूडियो का बास, जोरपुरा सुंदरियावास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज०

...प्रार्थीया-वादीया

बनाम

- 1- कजोड पुत्र नोपा
- 2- कमली देवी पत्नि छीतरमल
- 3- कैलाश चन्द पुत्र रूपनारायण
- 4- कालूराम पुत्र रामनारायण
- 5- नानछी देवी पत्नि रामनारायण
- 6- बुद्धाराम पुत्र किशनाराम
समस्त जाट निवासी कूडियो का बास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज०
- 7- राहुल चौधरी पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी सबरामपुरा तहसील कालवाड जिला जयपुर राज०
- 8- रोशन चौधरी पुत्र धन्नाराम चौधरी जाति जाट निवासी सबरामपुरा तहसील कालवाड जिला जयपुर राज०
- 9- लालाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट
- 10- श्रवण पुत्र मंगला जाति जाट
- 11- सूजाराम पुत्र जोधा जाति जाट
- 12- सरजूदेवी पत्नि गंगाराम जाति जाट

समस्त निवासीगण कूडियो का बास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज०

ममता

- 13- सूरज चौधरी पुत्र रमेशचन्द जोति जाट निवासी सबरामपुरा तहसील कालवाड जिला जयपुर राज०
- 14- कानीदेवी पत्नि भोलूराम जाति जाट निवासी कूडियो का बास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज०
- 15- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा तहसील जोबनेर जरिये प्रबन्धक
- 16- आईडीबीआई बैंक लि० शाखा चम्पापुरा जरिये प्रबन्धक
- 17- आईडीबीआई बैंक लि० शाखा वैशालीनगर जयपुर जरिये प्रबन्धक
- 18- राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा हिरनोदा जरिये प्रबन्धक
- 19- तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज०
- 20- सब रजिस्ट्रार जोबनेर जिला जयपुर

.. अप्रार्थीगण-प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मान्यवरजी,

प्रार्थीया-वादीया की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

- 1- यह कि प्रार्थीया-वादिया ने उनवानी वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है।
- 2- यह कि वादीया व प्रतिवादी सं० 1 ल० 14 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी वाकै ग्राम कूडियो का बास पटवार हल्का कूडियो का बास भू० अभि० नि० क्षेत्र करणसर तहसील जोबनेर की आराजी खाता सं० नया 115 पुराना 98 की आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 8.4089 हेक्टेयर में वादीया का 1/24 हिस्सा है व शेष हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 ल० 13 के जमाबंदी में दर्ज

ममल्ला

राजस्व रिकोर्ड के अनुसार अंकित है इसी प्रकार खाता संख्या-
नया 116 पुराना 97 की आराजी खसरा नंबर 137 रकबा 0..
2655 हेक्टेयर व खसरा नंबर 153 रकबा 0.1644 हेक्टेयर है
जिसमें वादिया का 1/24 हिस्सा है शेष हिस्सा राजस्व रिकोर्ड
जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी सं01ल014 की खातेदारी में दर्ज है
इसी प्रकार खाता संख्या नया 119 पुराना 100 की आराजी
खसरा नं बर 56/2 रकबा 2.1497 हेक्टेयर में वादियसा का
1/6 हिस्सा है शेष हिस्सा प्रतिवादी सं06,9, 11 व 12 के
खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में जमाबंदी के अनुसार अंकित है।
उपरोक्त आराजीयात को वादीया व प्रतिवादी सं01ल014 अपने
हिस्सेनुसार काबिज होकर भूमि की काश्त करते है एवं उपयोग व
उपभोग करते है एवं लगान अदा करते आये है।

- 3- यह कि उपरोक्त आराजीयात को पक्षकारान की अविभाजित
आराजीयात है जिसका विधिक रूप से किसी प्रकार से विभाजन
नही हो रखा है वादीया ने प्रतिवादी सं01ल014 को कई बार
विधिक रूप से विभाजन करवाने को कहा किन्तु हमेशा प्रतिवादी
सं01ल014 ने वादीया को यही आश्वासन दिया कि सभी का
अपने अपने हिस्सेनुसार भूमि पर कब्जा काश्त है और जब भी

ममता

गांव में राजस्व शिविर लगेगा तब आराजी का विभाजन सहमति से हिस्सेनुसार करवा लेगे जिससे वादीया प्रतिवादीगण की बातों पर विश्वास करते हुये अपने हिस्से पर कब्जा काश्त होकर उपयोग व उपभोग करती आ रही है। वादग्रस्त भूमि में वादीया व प्रतिवादी सं० 1 ल० 14 का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है जिसका विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

- 4- यह कि आजकल जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया है और प्रतिवादीगण बिना विधिक विभाजन करवाये ही भूमि को बेचान करने को उतारु है एवं मनचाही जगह कब्जा करवाना चाहते हैं जिसकी वजह से प्रतिवादी गण ने एक राय कर ली है और वे वादीया को उसके हक व हिस्से से वंचित करना चाहते हैं तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं करवाना चाहते हैं व मनचाही जगह कब्जा कर वादीया को उसके हक व हिस्से की भूमि से महरूम करने पर आमादा है। इसी वजह से प्रतिवादीगण दिनांक 10/6/2025 को वादग्रस्त आराजी पर अजनबी व्यक्तियों को लाकर मनचाही जगह से भूमि बेचान करने का सौदा करने लगे जब वादीया ने इनको ऐसा

मामला

करने से मना किया और विधिवत रूप से विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये और मनचाही जगह से भूमि बेचान करने की धमकी दी इसलिए वादीया को यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

5- यह कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाये मनचाही जगह से अजनबी दीगर क्रेताओ को भूमि का बेचान करके मनचाही जगह अच्छी भूमि पर कब्जा करवा कर वादीया को उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल कर दिया तो वादी के हक व अधिकार प्रभावित होंगे जिससे वादीया को सख्त हक तलफी होगी एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी व कानूनी पैचेदगीयां उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

6- यह कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया-वादिया के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि दौराने वाद अप्रार्थीगण- प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेध से पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के मद नंबर 2 में वर्णित भूमि वाकै कूडियो का बास तहसील जोबनेर में प्रार्थीया-वादीया के कब्जे काशत व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, तथा ना ही बिना विधिक विभाजन करवाये भूमि को रहन बैय मुंतकिल/बेचान/ हस्तांतरण, दान इत्यादि करे तथा मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथावतस्थिति बनाये रखे। इस सम्बन्ध में तहरीर सब रजिस्ट्रार व तहसीलदार को प्रेषित की जावे।

प्रार्थीया- वादीया

ममता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान

प्रार्थना पत्र सं०....!

ममता देवी बनाम कजोड व अन्य

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषे०

शपथ पत्र

मैं ममता देवी पत्नि बाबूलाल जाति जाट उम्र 36 साल निवासी किशना बाबा की ढाणी, कूडियो का बास, जोरपुरा सुंदरियावास तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज० का हूं और निम्न प्रकार सशपथ बयान करता हूं कि

- 1- मैं सशपथ बयान करता हूं कि प्रार्थना पत्र का मद नंबर 1ल06 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है कोई तथ्य नहीं छिपाये है।
- 2- यह कि मद नंबर 1ल06 को इस शपथ पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर पढा व समझा जावे।

शपथग्रहिता

ममता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता आज दिनांकको बमुकाम जोबनेर सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र का मद नंबर 1ल02 मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य है कोई तथ्य नहीं छिपाये है।

सत्यापनकर्ता

ममता